न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमलराम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–39/2015 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. भवानीसिंह पुत्र स्व0 श्री सूरज जाति मीणा निवासी ग्राम भूगोर तहसील व जिला अलवर ।

..... वादी/ अपीलांट

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र श्री सूरज जाति मीणा,
2. श्रीमती सुशीला पत्नि श्री शिवकुमार जाति मीणा,
3. श्रीमती गुलाब देवी पत्नि श्री रामचन्दर जाति मीणा निवासीयान ग्राम भूगोर तहसील व जिला अलवर ।
4. श्रीमती कमला पुत्री श्री सूरज पत्नि श्री बाबूलाल जाति मीणा निवासी भैरू का चबूतरा अलवर जिला अलवर ।
5. मदनलाल पुत्र श्री भौरेलाल जाति मीणा निवासी रूपबास, अलवर ।
6. श्रीमती दुर्गा देवी पत्नि श्री गिरधारीलाल जाति मीणा निवासी रूपबास, अलवर ।
7. विश्राम पुत्र श्री रामनारायण जाति मीणा निवासी मकान सं0 5 प्रेम कुंज, शांति कुंज के पास, अलवर ।
8. प्रेम पुत्र श्री गिरधारीलाल जाति मीणा निवासी रूपबास अलवर तहसील व जिला अलवर अलवर ।

..... प्रति0/ रेस्पोडेन्टान

उपस्थित :–
1. श्री आनन्दसिंह अभिभाषक अपीलांट ।
2. रेस्पो0 सं0 1 व 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–09.03.2018

यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर, अलवर के निर्णय दिनांक 12.10.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 व 188 आर.टी.एक्ट के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के पिता सूरज के स्वर्गवास के बाद विरासत सं0 328 उनके सभी वारिसान यानि उनकी पत्नि श्रीमती चन्दी व उनके चारों पुत्रों अमरसिंह, रामप्रसाद, रामजीलाल, भवानीसिंह व उनकी पुत्री कमला के नाम गलत तौर पर खोला गया

9/3/18

व ग्राम पंचायत भूगोर द्वारा दि0 5.6.2002 को गलत रूप से स्वीकार किया गया । प्रार्थी व प्रार्थी के पिता मीणा जाति यानि अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं और कानूनन अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की विरासत में उसकी विधवा पत्नि व पुत्री का कोई अधिकारी व हिस्सा नहीं होता है । इन्तकाल सं0 328 श्रीमती चन्दी व श्रीमती कमला की हद तक वादी के खिलाफ बातिल व बेअसर व निरस्त योग्य है । प्रतिवादी सं0 4 ने प्रतिवादी सं0 7 के हक में 0.25 है0 विवादित आराजी का बयनामा दि0 3.6.2015 को अनाधिकृत रूप से पंजीबद्ध करवाया जो कि वादी के हक के खिलाफ बातिल व बेअसर व शून्य है । प्रतिवादीगण ने एक गिरोह बनाकर वादी को गैर कानूनी रूप से बलपूर्वक विवादित आराजी से बेदखल करने को उतारू हैं तथा प्लाटिंग करके अलग–अलग लोगों को मुन्तकिल करने, निर्माण करने, सड़क का निर्माण करने की धमकी दी । यदि प्रतिवादी अपनी धमकी में सफल हो गये तो वादी को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी । इसलिए वाद के निर्णय तक प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावें । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिसमें प्रतिवादी सं0 2, 5, 7 व 8 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आयें एवं प्रतिवादी सं0 4 व 6 ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया । विद्धान अधिनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर वादी का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट दि0 12.10.2015 को खारिज कर दिया जिस निर्णय दि0 12.10.2015 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया लेकिन बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं आये । इसलिए तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्धान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी ।

अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि मेरे पिता स्व0 श्री सूरज जाति से मीणा है व अनुसूचित जनजाति की तारीफ में आते हैं व कानूनन किसी भी अनुसूचित जनजाति की सम्पति में उसकी पत्नि यानि उसकी बेवा व पुत्री का कोई हक व हिस्सा नहीं होता है किन्तु तहत न्यायालय ने अपने आदेश में मृतक की पत्नि का हिस्सा व हक होना गलत तौर पर माना है तथा मृतक की पुत्री के बारे में कोई फाईडिंग नहीं दी है । विवादित आराजी सूरज पुत्र भौरया मीणा की खातेदारी का है । इनकी मृत्यु के बाद 328 नम्बर का नामान्तकरण दर्ज हुआ जिसमें 4 पुत्र, 1 पुत्री एवं एक विधवा का नाम 1/6–1/6 हिस्सा दर्ज है । पुत्री कमला का 1/6 हिस्सा बराबर दर्ज कर दिया और उस आधार पर वह जगह–जगह बेचान कर रही है । तहत न्यायालय में अभी दावा विचाराधीन है । तहत न्यायालय ने केवल टी.आई. खारिज की है ।

आगे बहस में कहा कि पैतृक सम्पति सिद्ध है । जब नामान्तकरण सं0 328 दर्ज हो गया तथा सारा रेकार्ड पेश कर दिया । केवल खारिजी का ग्राउण्ड ये लिया कि रेकार्ड पेश नहीं किया । साथ ही यह तर्क दिया कि हिन्दू सक्शेसन एक्ट में मीना जाति की लड़की को अधिकार मिलता है या नहीं । मैंने नियम पेश किया है । उसका निर्णय में हवाला ही नहीं दिया है । रेकार्ड में सहखातेदार है । सभी का प्रत्येक इंच पर कब्जा है । इसे निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में गये थे वहां भी निर्णय यथावत रहा । अतः किसका कितना हिस्सा होगा । ये वाद में तय होगा । अभी मुझे अस्थाई निषेधाज्ञा मिलना चाहिए कि ये विवादित आराजी का बेचान नहीं करें ।

अतः तहत न्यायालय का निर्णय निरस्त करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया । उन्होंने अपने समर्थन में अर.एल.डब्ल्यू. 2006 पेज 695 व आर.एल.डब्ल्यू. 2007 पेज 214 पेश की ।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया ।

अपीलांट के बहस के तथ्यों व तहत न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी के हिस्से उपरान्त बेचाननामा होना तथा उनकी खातेदारी अलग से दर्ज होने के बाद हिस्से को समाप्त कराने का अनुरोध है । चूंकि यह प्रार्थना पत्र 212 की अपील में है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसूचित जनजाति पर लागू होता है या नहीं, यह मूल वाद के निर्णय का विषय है । वर्तमान में विवादित आराजी का बेचान हो चुका है तथा रेकार्ड में डिक्री से अलग है । अतः अपीलांट का न तो प्राईमाफैसी केस है और न ही अन्य बिन्दू उसके पक्ष में है ।

ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से काबिल खारिजी के है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, अलवर के निर्णय दिनांक 12.10.2015 यथावत रखा जाता है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9.3.18

(कमलराम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर